□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□ज□ □□□

अतारांकित प्रश्न □ख□□: 1699

03 □□स□, 2021 □□ □□□□□□□□□□□□□□प्रश□ □□ □त्त□

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ f□□ □□ □□□□□□□□□-19 □□□□ँ □□ □□□□□□□

1699: श्□ □□□□□□ □□□□
श्□ □□.□□. □न्द्र□□□□
श्□□□□ □□□□ □□□ □□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(□) क□□ □त्र□□□ □□□□□ 2020 □□□□ □ □ी □□□□□ □□ □□ □□□□□-19 पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े □□त्र किए ह या तैयार किए ह जिन्ह सरकारी अस्पतालों से वापस भेज दिया गया था;

(□) □f□ □□ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, □□ □□□□क□□ □□□□ □;

(□) क्या मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा करवाई है कि आगामी तीसरी लहर के □□□□□ □स□□□□ँ □ □□□□□□□□□□□ □□□□ँ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□क्ष□ □ँ;

(□) □f□ □□ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, □□ □□□□क□□ □□□□ □; □□

(□) □f□ □□ तो इसको कायान्वित करने और इसे पूण करने के लिए समयसीमा क्या □?

□त्त□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्र□ (□□. □□□□□ प्र□□□ □□□□)

(□) □□(□) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। भारत सरकार ने राज्यों को अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान □□□□□□□□□□- साथ लोजीस्टिक और वित्तीय सहायता भी प्रदान की है ताकि कोविड-19 □□□□□□□ □□ निपटने के लिए अपनी मौजूदा स्वास्थ्य अवसंरचना को और सुदृढ़ कर सक।

स्वास्थ्य परिचया अवसंरचना को और सुदृढ़ करने के लिए चलाई जा रही पहलों म निम्नलिखित शामिल ह:

- □□+□□□□□ □□□□ँ □ क्□□-□क्□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□-□□□ □□ □ □□+□□□□□ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की निरन्तरता को बनाए रखने के आशय से, □□ □ □□□□ष्ट □□□□□-19 स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की तीन स्तरीय व्यवस्था [(i) □□□□□ परिचया केन्द्र (सीसीसी); (ii) □□□□ष्ट

कोविड स्वास्थ्य केन्द्र (डीसीएचसी) तथा (iii) विशिष्ट कोविड अस्पताल (डीसीएच)] को कार्यान्वित

- तृतीयक परिचर्या अस्पतालों के साथ समन्वय स्थापित किया है। -19 मामलों में बढ़ोत्तरी के प्रबंधन के लिए डीआरडीओ द्वारा अनेक अस्थायी उपचार सुविधा केंद्रों की स्थापना की गई थी। क्षमता में भी लगातार वृद्धि की गई।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहा है। अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 150 से अधिक दिशानिर्देश/परामर्शिकाएं/एसओपी/योजनाएं उपलब्ध
- राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि जिला स्तरीय डैशबोर्ड स्पष्ट रूप से सुविधा- अपडेट किया गया हो और पब्लिक डोमेन में इसका व्यापक प्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे व्यवहार्यता के अनुसार निर्बाध प्रवेश के लिए अस्पतालों में बिस्तर ऑनलाइन उपयोगिता प्रदान करने पर विचार करें।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मई 2021 के दौरान मामलों में वृद्धि को संज्ञान में लेते हुए, 8 , 2021 को अस्पतालों में कोविड रोगियों को , राज्यों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्र सरकार के तहत अस्पतालों, क्षेत्र प्रशासन (राज्यों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में) रोगियों का प्रबंधन करने को :

  क. -19 ग्रस्तता (पॉज़िटिव) जांच की आवश्यकता स्वास्थ्य सुविधा केंद्र प्रवेश के लिए अनिवार्य नहीं है , डीसीएचसी या डीसीएच के संदर्भ वार्ड में भर्ती कराया जाएगा,

  ख. म सेवा देने से मना नहीं किया जाएगा। इसमें ऑक्सीजन या ,

  ग. को इस आधार पर प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा कि वह एक वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है जो उस शहर से संबंधित नहीं है जहां अस्पताल स्थित है।

  घ. अस्पताल में प्रवेश आवश्यकता के आधार पर होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने

, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित के साथ राज्यों का

- □□त□ □□ 2019-20 □□□□□□□, □□□□□□ □□□□□ □□ज□ाँ/□□ □□ज□ क्षेत्रों को 1113.21 करोड़ रु. को निधियां जारी की गईं□
- □□□□□, 2020 □, केन्द्र □□□□□ □□□त□ □□ 2019-20 □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ाँ □□ □□ि□□ □ □□□□ □□ □□□□□□ 35% खच करने की अनुमति राज्यों □□ □□ □□□□□ □च□□□ □□□□ □□□□□-19 के नियंत्रण उपायों के लिए वित्त □□ 2020-21 □□ 2021-22 □□□□□□□ □□□□□ 50% □□ □□ □□□
- □□त□ □□ 2020-21 □□□□□□□, □□□□ □□□□□-19 आपातकालीन अनुक्रिया और स्वास्थ्य प्र□□□□ □ी □□□□□ □□□□□ □□□□ के रूप म □□ज□ाँ/□□ □□ज□ क्षेत्रों को 8257.88 □□□□ रु. □ी □□□□ □□□□ □ी □□□
- □□□□□□□□□□, □□□□ □□□□□-19 □□□□□□□□□□ □□क्रि□□ □□ स□□स्थ्य प्र□□□□ □ी □□□□□ □□□□□ □□□□-II को भी मंत्रीमंडल की मंजूरी मिल गई है जिसम 23,123 □□□□ रु. (□न्द्र□□ □□□ 15,000 करोड़ रु. तथा राज्य □□□ 8,123 □□□□ रु. □ी □□□□ □□□□□ □□□□ □□□1 □□□□, 2021 □□ 31 □□□, 2022 □□ □□□□ि□□ f□□□ □□□□ □□□

□□□ ग्र□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□ क्षेत्रों म समुदाय के निकट स्वास्थ्य □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□ज□/□□ □□ज□ क्षेत्र स्त□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□-19 □□□□ाँ □□प्र□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□-□□□□ स□रों पर सेवा सुपुदगी बढ़ाने के लिए औषधी और नैदानिक सेवाओं के प्रापण (□□डायट्रीक परिचया सहित) के लिए सहायता प्रदान करना और दवाओं का बफर बरकरार रखने, □स□ताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के कायन्वयन और सभी जिलों म टेलीकन्सलटेशन को पहुंच म □□स□□र जैसे आईटी क्रियाकलापों, □□□□□-19 के प्रबंधन के सभी पहलुओं के लिए क्षमता निमा□ □□ प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करना शामिल ह।

*****